

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
--: मंत्रालय ::--
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर
//आदेश //

अटल नगर, दिनांक 12/03/2019

क्रमांक 1945/F-2014-04-00769/ब-4/चार :- वित्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु लिंक अधिकारी के संबंध में जारी समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए वित्त विभाग में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

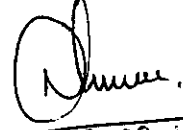
क्र	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्री सतीश पाण्डेय	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री एस.के. चक्रवर्ती
2	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय	श्री विनीत नंदनवार
3	श्री एस.के. चक्रवर्ती	डॉ. ए.के. सिंह	श्री सतीश पाण्डेय
4	डॉ. ए.के. सिंह	श्री एस.के. चक्रवर्ती	श्री राजेश कुमार सिसोदिया
5	श्री विनीत नंदनवार	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	डॉ. ए.के. सिंह
6	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्री विनीत नंदनवार	श्रीमती शारदा वर्मा
7	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्री मोतीराम खुटे
8	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री सुरेश वर्मा
9	श्री मोतीराम खुटे	श्री सुरेश वर्मा	श्री अरविंद कुजूर
10	श्री सुरेश वर्मा	श्री मोतीराम खुटे	श्री राघवेन्द्र कुमार
11	श्री अरविंद कुजूर	श्री राघवेन्द्र कुमार	श्री ऋषभ पाराशर
12	श्री राघवेन्द्र कुमार	श्री अरविंद कुजूर	श्री महेश साकल्ले
13	श्री ऋषभ पाराशर	श्री महेश साकल्ले	श्री राजशेखर शर्मा
14	श्री महेश साकल्ले	श्री ऋषभ पाराशर	श्री सीताराम तिवारी
15	श्री राजशेखर शर्मा	श्री सीताराम तिवारी	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
16	श्री सीताराम तिवारी	श्री राजशेखर शर्मा	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का

2- डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा सचिव, वित्त की हैसियत से संपादित किये जाने वाले कार्य को उनके अवकाश अवधि में श्रीमती शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव सह संचालक बजट, वित्त विभाग द्वारा संपादित किया जाएगा।

3-- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहें हैं। इसका उल्लेख संबंधित अधिकारी द्वारा अपने अवकाश आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा।

4- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में अतिआवश्यक नस्तियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को महत्वपूर्ण कार्यों/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे ।

(अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)



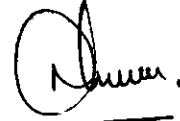
12.03.19
(राघवेन्द्र कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

पृ. क्रमांक 1946/F-2014-04-00769/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 12 /03/ 2019

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय,
2. सचिव/अपर सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
3. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
4. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
— की ओर सूचनार्थ ।



12.03.19
(राघवेन्द्र कुमार)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी